



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241446
CG-DL-E-27122022-241446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5827]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944

No. 5827]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSHA 6, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6070(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय नियम 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पूर्ववर्ती (चाय नियंत्रण) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 का और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 12 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“13	श्री सुशील के बेरलिया	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14.	श्री अशोक के गोयल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

15.	श्री मृगेन्द्र जालान	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16.	श्री राजीव के गोहेन	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
17.	श्री दिनेशभाई करिया	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
18.	श्री धनंजयन कृष्णामूर्ति	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
19.	श्री आनंद कुमार गोयल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों के मालिकों और चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
20.	श्री नबीन सीएच केओट	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों में सेवा नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
21.	श्री के के मनोज कुमार	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों में सेवानियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
22.	श्री डी डेविड	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय सम्पदाओं और बागानों में सेवानियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
23.	श्री मिलिंद जगदीशचंद्र शाह	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड.) के अधीन चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित डीलरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
24.	श्री वीरेन शाह	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अधीन चाय विनिर्माता व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
25.	श्री पुराजित बख्शी गुप्ता	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अधीन चाय विनिर्माता व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
26.	श्री प्रफुल्ल रंजन वर्मा	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ता व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
27.	श्री महेश चौहान	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय उपभोक्ता व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
28.	श्री विनय शर्मा	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
29.	श्री वीरेंद्र सिंह चौधरी	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

[फा. सं. के-57023(17)/1/2021-बागान क]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप-खंड (ii) में, तारीख 18 मार्च, 1954, सा.का.नि. संख्यांक 944, तारीख 17 मार्च, 1954 के अधीन प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ.3899 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2022

S.O. 6070(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Tea Board, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control), number S.R.O. 944, dated the 17th day of March, 1954.

2. In the said notification, after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“13.	Shri Sushil K Berlia	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
14.	Shri Ashok K Goyal	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
15.	Shri Mrigendra Jalan	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
16.	Shri Rajib K Gohain	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
17.	Shri Dineshbhai Karia	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
18.	Shri Dhananjayan Krishnamoorthy	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
19.	Shri Anand Kumar Goyal	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
20.	Shri Nabin CH Keot	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
21.	Shri K K Manoj Kumar	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
22.	Shri D. Devid	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
23.	Shri Milind Jagdishchandra Shah	Member	representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4.

24.	Shri Viren Shah	Member	representing persons manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
25.	Shri Purajit Bakshi Gupta	Member	representing persons manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
26.	Shri Prafull Ranjan Verma	Member	representing persons consumers of tea under clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
27.	Shri Mahesh Chauhan	Member	representing persons consumers of tea under clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
28.	Shri Vinay Sharma	Member	representing persons other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.
29.	Shri Virendra Singh Chaudhary	Member	representing persons other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.”.

[F. No. K-57023(17)/1/2021-PLANT A]

RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th day of March, 1954 *vide* S.R.O. number 944, dated the 17th day of March, 1954, and was last amended *vide* notification number S.O.3899 (E), dated the 16th August, 2022.